न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2020 / 00204 दर्ज तिथिः–11.09.2020

1. वींजाराम वल्द हेमाराम
2. प्रभूराम वल्द हेमाराम
3. चूनी देवी पत्नी हेमाराम
4. कुनणी देवी पत्नी हेमाराम
   कौम जाट साकिन रामजी का गोल फांटा, ग्राम पंचायत रामजी का गोल फांटा पटवार मंडल पीपराली तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. गोमती देवी पत्नी सताराम
   कौम जाट साकिन तेजियावास तहसील गुडामालानी
2. नेमीचंद वल्द सरदाराराम
   कौम ओसवाल साकिन मांगता तहसील धोरीमना
3. मूला वल्द भगाराम फौत के कायम मुकाम एवं वारिशान
   3/1 भीखाराम वल्द मूलाराम
   3/2 गोरधनराम वल्द मूलाराम
   3/3 कोजाराम वल्द मूलाराम
   3/4 लिखमाराम वल्द मूलाराम
   3/5 धनी देवी पत्नी मूलाराम
   जाति जाट निवासी तेजियावास तहसील गुडामालानी
4. मदा वल्द भगाराम
5. हरजी वल्द भगाराम
6. मगा वल्द भगाराम
7. सता वल्द भगाराम
8. चूनाराम वल्द अमराराम
9. हनुमानराम वल्द अमराराम
10. खुमाराम वल्द अमराराम
11. अचलाराम वल्द अमराराम
12. पनी पत्नी अमराराम
    जाति जाट साकिन तेजियावास तहसील गुडामालानी
13. खूमाराम वल्द कनाराम
    कौम जाट साकिन बेरडों का पाना पीपराली
14. सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क निर्माण खंड गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:43 IST
Reason: SelfAttested

15. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक / आरएमजीबी शाखा धोरीमना
16. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे गुडामालानी
17. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार गुडामालानी

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः–श्री भाखराराम गोदारा
श्री डालूराम चौधरी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–05.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

   - प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 883 / 0.12 बीघा एवं खसरा संख्या 884 / 77.05 बीघा वाके ग्राम रामजी का गोल फांटा, तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 884 / 5 / 01.00 बीघा, 884 / 2 / 4.05 बीघा, 884 / 3 / 22.00 बीघा, 884 / 4 / 2.05 बीघा एवं 884 / 1 / 7.04 बीघा वाके ग्राम रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 884 से विभक्त होकर नये खसरे बने हैं। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 884 / 76.13 बीघा जो मौके पर सड़क के पार होकर अप्रार्थीगण को बेचान करने से नये खसरा संख्या 884 / 4 / 2.05 बीघा, 884 / 2 / 4.05 बीघा के साथ ही 884 / 5, 884 / 3 एवं खसरा संख्या 884 / 1 दर्ज किये गये। उक्त खसरों में सड़क की तरमीम भी दर्ज हुई। मूल खसरे से विभक्त हुए सभी खसरों में तरमीम नक्शे में अधिक होने से शेष रहा मूल खसरे का रकबा मौके पर पूरा है परंतु राजस्व नक्शे में तरमीम अधिक कर दी गई। मूल खसरा संख्या का शेष रकबा सड़क के दूसरी तरफ अभी भी पड़ा है।
   - प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 884 का रकबा सड़क के दूसरी तरफ शेष रह रहा है। परंतु उक्त खसरों व सड़क की तरमीम को उक्त दोनों खसरों की तरफ खींचकर उसे विलोपित कर दिया तथा खसरा संख्या 884 / 4 एवं 884 / 2 में अधिक तरमीम कर दी गई। साथ ही सड़क के दूसरी तरफ खसरा संख्या 884 के शेष रहे भाग को विलोपित कर दिया गया। मौके पर भूमि अभी भी शेष पड़ी है। जिससे मौके व रिकॉर्ड की भिन्नता आ गई। अंत में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 884 / 76.13 बीघा जो मौके पर सड़क के पार होकर बेचान से नये खसरा संख्या 884 / 4 / 2.05 बीघा, 884 / 2 / 4.05 बीघा के साथ ही 884 / 5, 884 / 3 एवं खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:43 IST
Reason: SelfAttested

884/1 दर्ज एवं मूल खसरा से विभक्त हुए खसरों की तरमीम मुताबिक वर्तमान कब्जा काश्त के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 एवं 13 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 एवं 13 जरिये अधिवक्ता हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थीगण संख्या 02 द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना—पत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थना—पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट का न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। विद्वान अधिवक्तागण अप्रार्थी संख्या 02 एवं 13 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर सीधे बहस का निवेदन किया गया।

5. प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने मूल खसरा से विभक्त हुए खसरों की तरमीम मुताबिक वर्तमान कब्जा काश्त के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः—

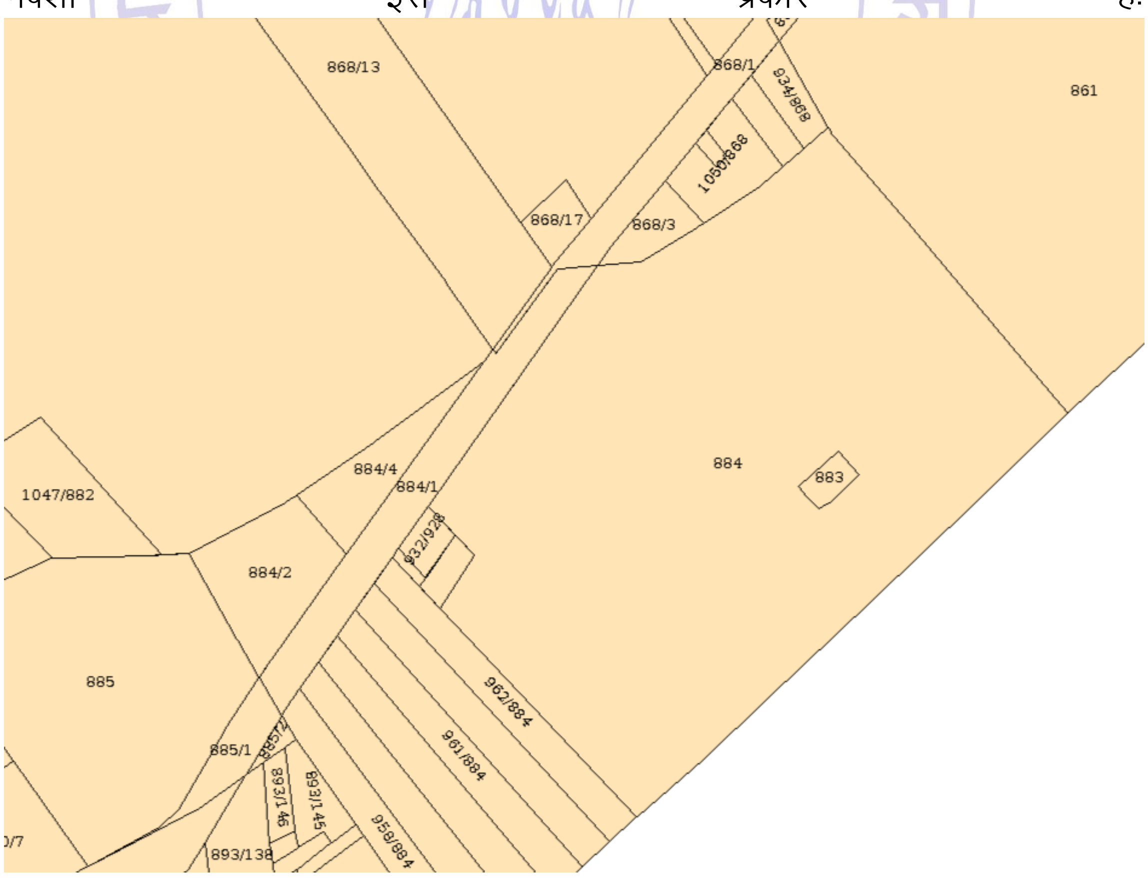

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:43 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 883 व 884 मौजा रामजी की गोल फांटा तहसील गुडामालानी के पश्चिम की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग खसरा संख्या 884/1 मौजा रामजी की गोल फांटा तहसील गुडामालानी से होकर गुजर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग खसरा संख्या के 884/1 मौजा रामजी की गोल फांटा तहसील गुडामालानी के पश्चिम की तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 884/2 व 884/4 तथा पूर्व की ओर 884/3 मौजा रामजी की गोल फांटा तहसील गुडामालानी अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

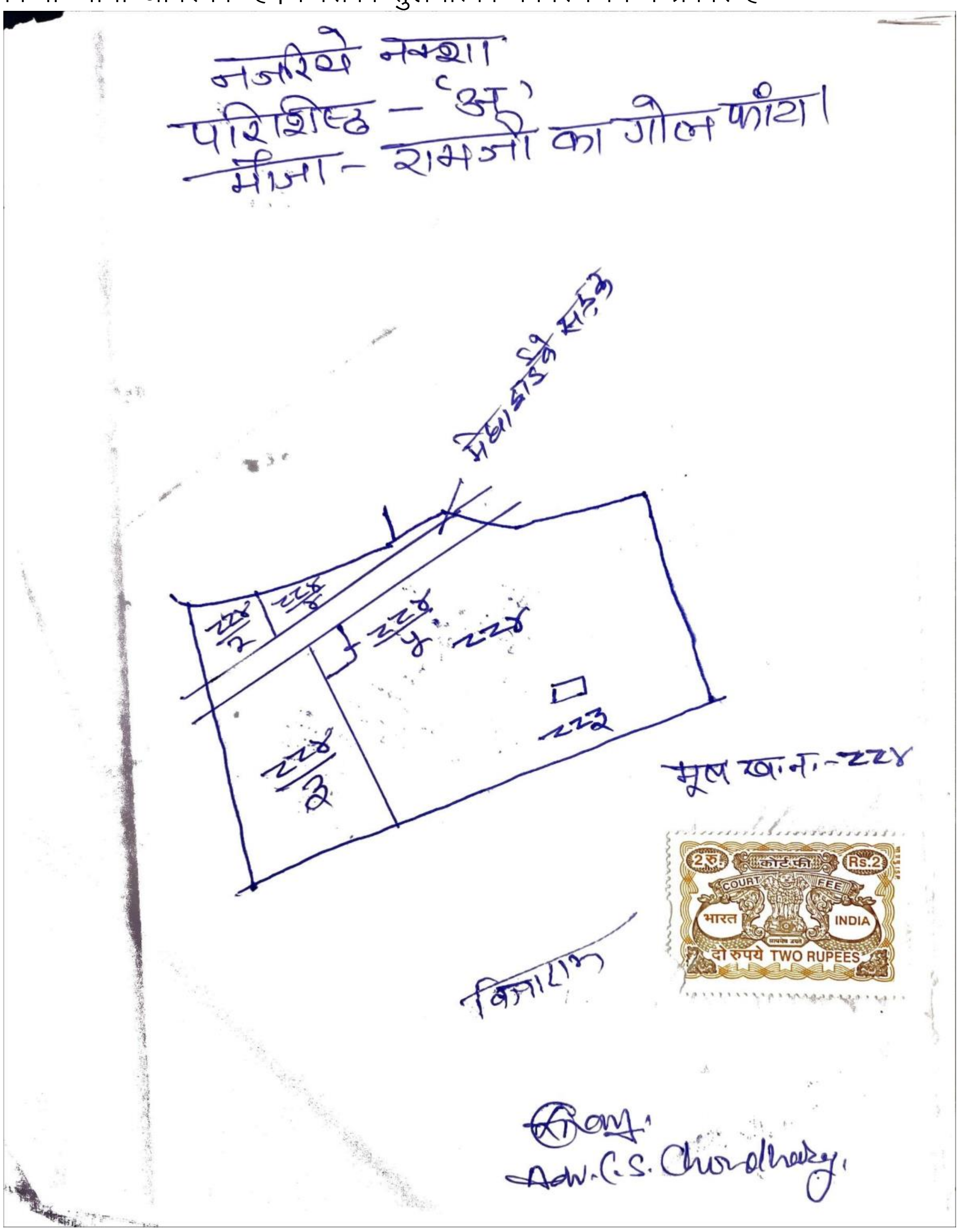

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:43 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 167 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 167 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

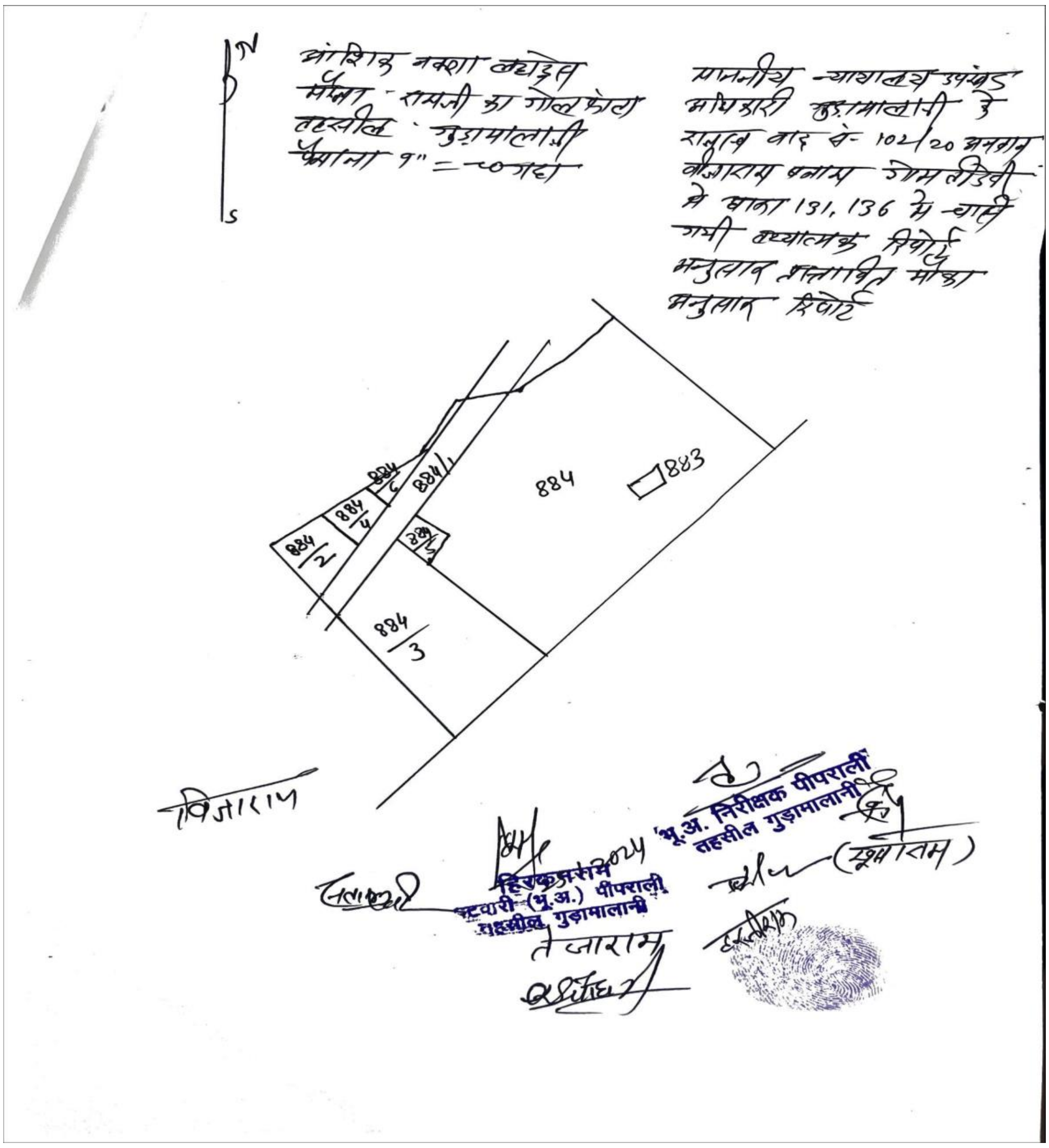

9. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 167 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

कि ग्राम रामजी का गोल फांटा के मूल खसरा संख्या 884 / 113—07 बीघा दर्ज रिकॉर्ड था। जिसमें से खसरा संख्या 884 / 1 रकबा 07—04 बीघा किस्म गैर मुमकिन सडक हेतु भूमि अवाप्त होने से मूल खसरा तीन भागों में विभक्त हो गया। सडक हेतु भूमि अवाप्त करते समय मूल खसरा संख्या 884 में से खसरा संख्या 884 / 99—13 बीघा, 884 / 1 / 7—04 बीघा व 884 / 2 / 06—10 बीघा दर्ज किया गया। जबकि मौके पर खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:43 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 884/98 बीघा, 884/1/7–04 बीघा व 884/2/08–03 बीघा आराजी रही। राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज व गलत तरमीम होने से खसरा संख्या 884/2/06–10 बीघा भूमि में से रकबा 04–05 बीघा भूमि नेमीचंद वल्द सरदामल कौम ओसवाल साकिन मांगता को तथा रकबा 02–05 बीघा भूमि खुमाराम वल्द कानाराम जाति जाट साकिन बेरडों का पाना को बेचान करने से राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 884/2/06–10 बीघा का संपूर्ण रकबा 06–10 बीघा बेचान हो गया। जबकि मौके पर खसरा संख्या 884/2/06–10 बीघा के खातेदारान/प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त रहा। वर्तमान में मौका कब्जा अनुसार मौजा रामजी का गोल फांटा खसरा संख्या 884 रकबा 76–13 बीघा/12.4076 है0 के स्थान पर 75 बीघा/12.1405 है0 तथा खसरा संख्या 884/6 रकबा 01–13 बीघा/0.2671 है0 दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

10. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/167 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर मुमकिन सडक खसरा संख्या 884/1 के पश्चिम की तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी का खसरा संख्या 884/2 व 884/4 के पश्चात भी प्रार्थीगण की लगभग 01–13 बीघा खातेदारी भूमि शेष बचती है। जो कि प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त में है। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ. /2024/167 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ. /2024/167 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें। यह आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:43 IST
Reason: SelfAttested